सांप्रदायिक दंगे

दंगे, साम्प्रदायिक प्रक्रिया का ऊपरी दिखने वाला भाग है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रचार, मिथकों का सामाजिक चेतना का भाग बनना वह कारण है जिससे दंगे संभव होते हैं। दंगों में बेगुनाह मारे जाते हैं, और ज्यादातर, दंगाइयों को सजा नहीं दी जाती।

इन अपराधों के बाद ज्यादातर प्राथमिक रिपोर्ट, एफ आइ आर, दर्ज नहीं की जाती, अगर की भी जायें तो उनमें कमजोरियां रख दी जाती हैं ताकि गुनाहगार बच जायें। फिर इनकी जांच भी ठीक से नहीं होती, न्याय की प्रक्रिया में अपनी कमजोरियां हैं। दंगा-पीड़ितों का पुनर्वसन भी ठीक से नहीं होता। डर की भावना के कारण अल्पसंख्यकों के तबके अलग थलग पड़ जाते हैं। जबलपुर 1961, से 2002 गुजरात तक के दंगों को हिंदू-मुसलमान दंगा बताया गया। भारत में 13.4 प्रतिशत मुसलमान हैं पर दंगों में मरने वालों में 80 प्रतिशत मुसलमान होते हैं। 1950 के दशक में भयंकर मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई। बाबरी ध्वंस के बाद मुंबई में और 2002 में गुजरात में इस हिंसा ने नरसंहार का रूप धारण कर लिया। ईसाई विरोधी हिंसा ने 1996 से ज्यादा जोर पकड़ा, 1999 में पॅस्टर ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जलाया गया और 2001 से आदिवासी क्षेत्रों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में तेजी आई है। खासतौर से गुजरात, मध्यप्रदेश, ओड़िसा और कर्नाटक में यह हिंसा तेजी से बढ़ी है। 2008 में ओड़िसा में ईसाई विरोधी हिंसा ने एक भयानक मोड़ ले लिया। दंगों से धार्मिक समुदायों का ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण से सांप्रदायिक पार्टियों का प्रभाव बढ़ जाता है और अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे के स्तर पर ढकेला जाता है।

दंगे कौन शुरू करता है ?

अभी तक सफलतापूर्वक यह प्रचार किया जाता है, कि दंगे मुसलमान शुरू करते हैं और हिंदू उसका जवाब देते हैं। तीस्ता सीतलवाड ने ''हू कास्टस द फर्सट स्टोन'', कम्युनलिज़्म कंबैट, मार्च 1998, में 5 जांच आयोगों के उद्धरण देकर दिखाया है कि सच्चाई कुछ और ही है। उक्त लेख में से कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं :-

1. अहमदाबाद 1969 : ''आयोग से सच्चाई छिपाने विशेष रूप से आर. एस. एस. और जनसंघ के नेताओं की दंगों में भागीदारी को छिपाने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए।'' (उस समय भाजपा को जनसंघ के नाम से जाना जाता था (न्यायमूर्ति जगमोहन रेड्डी आयोग से)

2. भिवंडी, जलगांव 1970 : ''अपने उच्च अधिकारियों को एक रिपोर्ट में ठाणे जिले के अधिकारियों ने कहा ''मैंने यह पाया कि हिंदुओं, विशेषकर आर. एस. एस और कुछ पी. एस. पी. लोगों का एक वर्ग शरारत करने पर उतारू था। वे शिवाजी महान को सम्मान देने के लिए जुलूस में शामिल नहीं हुए थे। वे अपना हक जताने और यदि हो सके तो मुसलमानों को भड़काने तथा बेईज्जत करने के लिए आये थे।''

3. तेल्लीचेरी 1971 : ''तेल्लीचेरी में हिंदू और मुसलमान शताब्दियों से भाईचारे के साथ रह रहे थे। आर. एस. एस. और जनसंघ द्वारा वहां अपनी यूनिटें स्थापित कर, गतिविधियां शुरू कर देने के बाद स्थिति बदल गई। उनके मुस्लिम विरोधी प्रचार की प्रतिक्रिया में मुसलमान सांप्रदायिक संगठन, मुस्लिम लीग, के पास चले गए जिससे तनाव पैदा हो गया और इन उपद्रवों के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई। (न्यायमूर्ति जोसेफ विथयतिल आयोग की रिपोर्ट)।

4. जमशेदपुर 1979 : ''चुनावों से पहले खुफिया शाखा जमशेदपुर (मार्च 23,1979) ने अपनी रिपोर्ट में 31 मार्च और 01 अप्रैल को होनेवाले आर. एस. एस. के मंडलीय सम्मेलन का विशेष रूप से उल्लेख किया है जिसमें अन्य लोगों के अलावा आर. एस. एस. के सर्व संघचालक को भाग लेना था। जुलूस के मार्ग के बारे में मतभेद बहुत बढ़ गया। स्वयं को संयुक्त बजरंगबली अखाड़ा समिति कहने वाले लोगों का समूह उत्तेजित था। उन्होंने बड़े व्यवस्थित तरीके से सांप्रदायिक भावना वाले परचे बांटे। उनका आर. एस. एस. के साथ संगठनात्मक संबंध था। प्रशासन ने जब एक मार्ग विशेष से गुजरने की अनुमति नहीं दी तो प्रशासन की बात न मानने का आह्वान किया गया। इस पर हिंसक भीड़ ने विरोध प्रकट किया और मुस्लिम-विरोधी नारे लगाए। इसके बाद जमशेदपुर में (श्री रामनवमी केंद्रीय अखाड़ा समिति द्वारा जारी) परचे बांटे गए। इनमें हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया गया। घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तथा कुछ कार्यों को हिंदुओं के विरुद्ध बताया गया। यह सब एक साजिश का हिस्सा लगता था।''

5. कन्याकुमारी दंगे (1982) : न्यायमूर्ति वेणुगोपाल आयोग ''सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए आर. एस. एस. की कार्यपद्धति इस प्रकार है :- बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक भावनाओं को यह कहकर भड़काना कि ईसाई देश के निष्ठावान नागरिक नहीं हैं। अब बहुसंख्यक समुदाय के मन में यह कहकर डर बैठाना कि अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की कम हो रही है। बहुसंख्यक समुदाय के युवकों को खंजरों, तलवारों, भालों को चलाने का प्रशिक्षण देना। सांप्रदायिक खाई को बढ़ाने के लिए अफवाहें फैलाना और छोटी-छोटी बातों से सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाना।

क्या गोधरा घटना पूर्वनियोजित साजिश थी?

★ गोधरा की घटना की जाँच रेल विभाग द्वारा होनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एन. डी. ए. सरकार की हार के बाद यू. पी. ए. ने बैनर्जी कमीशन का गठन किया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि ट्रेन में आग का लगना एक दुर्घटना थी। मोदी--आर. एस. एस. -- प्रचारित बात कि, ये मुसलमानों की साजिश थी, सच नहीं है।

★ अक्टूबर 2006 की तहलका नामक पत्रिका ने अपनी स्टिंग पत्रकारिता के माध्यम से छुपे कैमरे से आर. एस. एस. से जुड़े लोगों के बयानों को सामने रखा। इससे यह बात साफ हो गई कि मोदी--आर. एस. एस. ने गोधरा के बहाने गुजरात में एक सुनियोजित, नरसंहार करवाया जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। मानव अधिकारों के कार्यकर्ताओं की रिपोर्टों के हवाले से जो बात सामने आई वही बात तहलका की पत्रकारिता से भी सिद्ध हो गई।

★ सारांश में मोदी ने गोधरा ट्रेन जलने के बाद जो तेवर दिखाये उससे यह साफ हो गया कि आर. एस. एस., मुसलमानों को अपना निशाना बनाने वाली है। उसी रात बी. जे. पी. के नेताओं ने मुसलमानों पर आक्रमण करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। आक्रमणकारियों के बचाव के लिए वकीलों को नियुक्त किया गया और दंगाइयों को बताया गया कि मोदी उनके साथ हैं। आदिवासी और दलितों के बीच जो प्रचार किया गया था, उसका लाभ उठाते हुए उन्हें दंगों के लिए उकसाया गया। पुलिस ने दंगाइयों को संरक्षण दिया और कई बार दंगों में उनका साथ दिया। बंदूकें, त्रिशूल और पेट्रोल बम, आर. एस. एस. कार्यकर्ताओं द्वारा बांटे गये। पूरे देश से हथियारों को लाया गया। संघ बी. जे. पी. के लोगों ने इन हमलों का नेतृत्व किया और पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। साबरकांठा और बड़ोदरा में साफ तौर पर दिखा कि भाजपा की एम.एल.ए., मायाबेन कोड़तानी दिन भर नरोडा में घूमती रही और दंगाइयों का नेतृत्व करती रहीं। वी. एच. पी. के अतुल वैद और भरत तेली ने यही काम गुलबर्गा सोसायटी में किया। पेट्रोल, केरोसीन और गैस सिलेंडरों का खुल कर इस्तेमाल हुआ और लोगों पर हमले के बाद उन्हें जलाया गया। बाबू बजरंगी ने 23 पिस्तौलें जमा की और भाजपा के नेताओं के साथ संपर्क रख उन्हें हत्याओं के बारे में बताता रहा। सरकारी वकील अरविंद पांड्या नानावटी शाह कमीशन में सरकारी पक्ष रख रहे हैं, वे मोदी के चहेते हैं। उन्होंने जस्टिस शाह को अपना आदमी बताया। (तहलका स्टिंग, अक्टूबर 2006 पर आधारित)